वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी, 2018-पौष 29, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री जयनारायण शर्मा वर्तमान में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल में पदस्थ हूँ. मेरे सेवा अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार शर्मा अंकित है. मैंने स्वेच्छा से अपना नाम धर्मेन्द्र शर्मा रखा है. अतः मुझे भविष्य में केवल धर्मेन्द्र शर्मा के नाम से ही जाना एव पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

नया नाम :

(धर्मेन्द्र शर्मा)

(662-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम टिंकू राठौर पिता भवरलाल राठौर था तथा मेरी अंकसूची व समस्त दस्तावेजों में भी यही नाम था तथा अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर मितेश राठौर पिता भवरलाल राठौर रख लिया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(टिंकू राठौर)

नया नाम :

(मितेश राठौर)
पिता भवरलाल राठौर,
18, पाचूनकर कॉलोनी, देवास (म.प्र.).

(641-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनिलकुमार गुप्ता पिता स्व. प्रेमचंद गुप्ता, निवासी सेगांव, जिला खरगौन था. जिसे बदलकर मैंने अपना नाम अनिलकुमार नागर रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम अनिलकुमार नागर से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(अनिल कुमार गुप्ता)

नया नाम :

(अनिलकुमार नागर)

(642-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक, प्रोपर्टीज, राशन एवं वोटर कार्ड आदि दस्तावेज रामअवतार खण्डेलवाल के नाम से हैं तथा एलआईसी पोलिसीज, बिजली-नल बिल, ड्रायविंग लायसेंस, लंबित विचाराधीन मामले आदि दस्तावेज रविन्द्र खण्डेलवाल के नाम से हैं. मेरे पासपोर्ट, आधार एवं पैन कार्ड रवि खण्डेलवाल के नाम से हैं. वर्तमान में मेरा परिवर्तित नाम रवि खण्डेलवाल है और में इसी नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम :

(रामअवतार खण्डेलवाल एवं रविन्द्र खण्डेलवाल)

नया नाम :

(रवि खण्डेलवाल)
पुत्र स्व. श्री बजरंग प्रसाद खण्डेलवाल,
302, श्रीकृष्ण अपार्टमेंट, कैथवाली गली,
नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(643-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मेरी पक्षकार की पुत्री अमायरा तिवारी के नाम से जाना जाता रहा है, अब से उसका नाम अमायरा तिवारी के स्थान पर अमायरा आस्था उपमन्यु के नाम से जान, पहचाना एवं लिखा जावेगा एवं भविष्य में समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्य अमायरा आस्था उपमन्यु के नाम से सम्पन्न होंगे.

ASHISH CHOUBEY,
(Advocate)
M-253, Khatiwala Tank, Indore.

(644-बी.)

CHANGE OF NAME

MANGLA UJJAINKAR here by declare that after marriage I have change my name as ANJANA NIRKHEY W/o AJAY NIRKHEY So, from now and in future, I will be known by my new name.

Old Name:

(MANGLA UJJAINKAR)

New Name :

(ANJANA NIRKHEY)
W/o Ajay Nirkhey,
Add :- 174, Basant Vihar Colony,
Dhar (M.P.).

(645-B.)

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was NISHA CHELLARAMANI after marriage I have changed my name AANCHAL RAICHANDANI W/o NITIN RAICHANDANI.

Old Name:

(NISHA CHELLARAMANI)

New Name :

(AANCHAL RAICHANDANI)
W/o Nitin Raichandani.
Add :- 285, One Tree Hills, Bairagarh,
Bhopal (M.P.).

(646-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, BURHANUDDIN BAGLIWALA here by declare that I have change my name as BURHANUDDIN BOHRA S/o ALI HUSAIN So, from now and in future, I will be known by my new name.

Old Name:

(BURHANUDDIN BAGLIWALA)

New Name :

(BURHANUDDIN BOHRA)
S/o Ali Husain,
Add :- Makan No. 48/11, Ward No. 11,
Mahakal Marg, Jain Mandir Ke Pass,
Bagli Dist. Dewas (M.P.).

(647-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में कु. निशि काबरा पिता विजय काबरा के नाम से जानी तथा पहचानी जाती थी मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 13-06-1998 को हो जाने के पश्चात् मेरी माता श्रीमती वंदना बजाज द्वारा द्वितीय विवाह रमेश कुमार बजाज से दिनांक 08-07-2003 को सम्पन्न किया है. उक्त विवाह के पश्चात् मेरे पिता रमेश कुमार बजाज हो गए हैं इसलिए वर्तमान में मैं कु. निशि बजाज पिता रमेश कुमार बजाज के नाम से जाना तथा पहचाना जाता हूँ सो सूचित हो.

पुराना नाम :

(कु. निशि काबरा)
पिता विजय काबरा.

नया नाम :

(कु. निशि बजाज)
पिता रमेश कुमार बजाज.

(648-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण हेतु सूचित हो कि में श्रीमति डॉ भावना भिमटे पत्नी श्री कृष्णकांत आलिका, निवासी ई-4, डॉक्टर्स कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.). यह की विवाह पश्चात् मेरा उपनाम भावना आलिका हो गया था, परन्तु मेरी समस्त अंकसूचियों में मेरा नाम भावना भिमटे पुत्री श्री शिव भिमटे है. अत: श्रीमति डॉ. भावना आलिका के स्थान पर मेरा नाम श्रीमति डॉ. भावना भिमटे पत्नी श्री कृष्णकांत आलिका हो गया है, जो सही एवं सत्य है. अत: भविष्य में उक्त सही नाम से ही संव्यवहार किया जावे.

पुराना नाम :

(भावना आलिका)

नया नाम :

(भावना भिमटे)

(649-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Saroj Narula spouse of late HFO MADAN LAL NARULA, resident of 262, Surya Vihar Colony Pinto Park, Gwalior was known by the name RANI H before and after marriage in some of the Government and non-Government documents. In future I shall at all times hereafter be known as SAROJ NARULA in all the records and documents of Government and non-Government

Old Name:

(RANI H)

New Name :

(SAROJ NARULA)
262, Surya Vihar Colony Pinto Park,
Gwalior (M.P.).

(650-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम रवि साहू है मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम किशनलाल साहू पुत्र कल्लू साहू अंकित है, उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं.

अत: भविष्य में मुझे किशनलाल साहू पुत्र श्री कल्लू साहू के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रवि साहू)

नया नाम :

(किशनलाल साहू)
पुत्र श्री कल्लू साहू,
निवासी-म.नं. 229, कल्ला साह का अहाता,
गल्ला मण्डी के पास, बरखेड़ी, भोपाल (म.प्र.).

(651-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दीपा लीलानी पुत्री श्री जगमोहन दास लीलानी था. दिनांक 22-02-2007 को मेरा विवाह श्री संतोष पंजवानी पुत्र श्री श्रीचंद पंजवानी से होने के बाद मेरा नाम श्रीमती कीर्ति पंजवानी पत्नी श्री संतोष पंजवानी हो गया है. भविष्य में अब इसी नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(दीपा लीलानी)

नया नाम :

(कीर्ति पंजवानी)
पत्नी श्री संतोष पंजवानी,
कोटावाला मोहल्ला लोहा मण्डी,
ग्वालियर (म.प्र.).

(653-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बालकिशन कुशवाह पुत्र स्व. श्री गंगाराम कुशवाह सिकन्दर कम्पू सेंट टेरेसा स्कूल के पास लश्कर, ग्वालियर का निवासी हूँ मेरे पैन कार्ड क्रमांक ANRPK0810A में मेरा नाम बालकिशन कुशवाह पुत्र श्री तुलसीराम कुशवाह अंकित है इसमें मेरे पिता का नाम गलत अंकित हो गया है मेरे पिता का सही नाम स्व. श्री गंगाराम है जोकि आधार कार्ड क्रमांक 4186, 4321, 3699 में तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र में तथा ड्रायविंग लायसेंस एवं राशन कार्ड में बालकिशन कुशवाह पुत्र स्व. श्री गंगाराम कुशवाह दर्ज है इसमें मेरे पिता का नाम स्व. श्री गंगाराम कुशवाह अंकित है जो कि सत्य व सही है.

यहकि मेरा व मेरे पिता का सही नाम बालकिशन कुशवाह पुत्र स्व. श्री गंगाराम कुशवाह सही है इसकी जानकारी प्रसारित है.

(बालकिशन कुशवाह)
पुत्र श्री गंगाराम कुशवाह,
निवासी-सेंट टेरेसा स्कूल के पास,
सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

(652-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नीलू फुलेचा पति श्री अभय फुलेचा, आयु 50 वर्ष, निवासी मकान नं. 86, पलाश परिसर नव दूरसंचार कॉलोनी, ई-8, गुलमोहर, भोपाल का पूर्व नाम श्रीमती नीलू जैन था.

अब मुझे नए नाम श्रीमती नीलू फुलेचा से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(नीलू जैन)

नया नाम :

(नीलू फुलेचा)
पता-मकान नं. 86, पलाश परिसर
नव दूरसंचार कॉलोनी, ई-8, गुलमोहर,
भोपाल (म.प्र.).

(654-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, प्रखर रायजादा पुत्र श्री राजीव रायजादा ने सन् 2002 में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश से पासपोर्ट क्र. E—3477318 बनवाया. उक्त समय में मै, अपना नाम प्रांसू रायजादा लेख करता था. वर्तमान में मैंने अपना नाम बदलकर प्रांसू रायजादा के स्थान पर प्रखर रायजादा रख लिया है.

पुराना नाम :

(प्रांसू रायजादा)
पुत्र श्री राजीव रायजादा.

नया नाम :

(प्रखर रायजादा)
पुत्र श्री राजीव रायजादा,
पता-798, कैलास विहार, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(655-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार कैथवास पुत्र श्री राम औतार कैथवास, जन्म दिनांक 22-05-1966 व्यवसाय शासकीय नौकरी, भारत संचार निगम लिमिटेड, मुरैना में असिस्टेंट टेलीफोन मैकेनिक के पद पर कार्यरत हूँ. मेरा निवास स्थान प्रसाद नगर कॉलोनी, चार शहर का नाका, शर्मा फार्म रोड़, ग्वालियर मध्यप्रदेश है. मेरा नाम सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक रिकार्ड में अशोक कुमार पासी अंकित है अब मैं अपना नाम बदलकर अशोक कुमार कैथवास पुत्र श्री राम औतार कैथवास कर रहा हूँ. अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे. अत: संशोधित नाम करने का मध्यप्रदेश के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन कराना चाहता हूँ. अत: मेरा नाम अशोक कुमार पासी पुत्र राम औतार कैथवास के स्थान पर अशोक कुमार कैथवास राम औतार कैथवास पढ़ा एवं लिखा जावे. यही नाम मेरा सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(अशोक कुमार पासी)

नया नाम :

(अशोक कुमार कैथवास)

(659-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, मुनेश्वर यादव पुत्र श्री कालीचरण यादव, निवासी मकान नं. 09, सदाशिव नगर, बाहर बीघा कॉलोनी, कोटेश्वर रोड, ग्वालियर म.प्र. यहकि प्रार्थी का नाम सही आवश्यकता दस्तावेजों में MUNESHWAR YADAV (मुनेश्वर यादव) जबकि हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची में MUNNESHWAR YADAV (मुन्नेश्वर यादव) अंकित है मुझे अपने समस्त दस्तोवजों में MUNNESHWAR YADAV (मुन्नेश्वर यादव) के स्थान पर MUNESHWAR YADAV (मुनेश्वर यादव) से जाना जाये जो सही व सत्य है.

पुराना नाम :

(मुन्नेश्वर यादव)
(MUNNESHWAR YADAV)

नया नाम :

(मुनेश्वर यादव)
(MUNESHWAR YADAV)
निवासी-मकान नं. 09, सदाशिव नगर,
बाहर बीघा कॉलोनी, कोटेश्वर रोड, ग्वालियर.

(660-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Hari Vasudeo Mulay declares that my schooling has been completed with name Hari Vasudeo Mulay while my bank accounts & Home, Vehicle Registry is with my name as HarishVasudeo Mulay. Both names are mine and my correct name is Hari Vasudeo Mulay.

Old Name:

(HARISH VASUDEO MULAY)

New Name :

(HARI VASUDEO MULAY)
R/o 207, Shonak Appt. Lokmanya Nagar,
Indore.

(661-B.)

CHANGE OF NAME

I, Kamlesh Patel DOB 24th January, 1986 W/o Sunil Patel H.No 145 Patel Mohalla Rampur, Jabalpur Pin 482008. Do Hereby Inform To General Public & All,Concerned That Since My Birth My Name Has Been Recorded As Kamlesh Patel(Old Name) In All Educational Certificates & In Other Relevent Documents, Now I Have Changed My Name To Shruti Patel(New Name), Henceforth I Will Be Known As Shruti Patel.

Old Name:

(KAMLESH PATEL)

New Name :

(SHRUTI PATEL)

(663-B.)

नाम परिवर्तन

वर्तमान में मेरा नाम गोरेलाल बरगैंया, उर्फ जी. एल. बरगैंया है, अब मुझे गोरे लाल बड़गैंया आत्मज स्व. श्री बलराम बड़गैंया (GORE LAL BADGAINYA S/o LATE SHRI BALRAM BADGAINYA)के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(गोरेलाल बरगैंया)
उर्फ जी. एल. बरगैंया
(GORE LAL BARGAINYA)

नया नाम :

(गोरे लाल बड़गैंया)

(GORE LAL BADGAINYA)
पता गौरे लाल बड़गैंया सेवनियां गोंड,
सूरज नगर नियर न्यायिक ऐकेडमी सूरज नगर
भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.).

(664-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार भागीदारी फर्म ऑलबर्स टेलीकम्यूनिकेशन (OLBERS TELECOMM-UNICATION) पंजीयन क्रमांक 666/2016, दिनांक 18-05-2016 पूर्व कार्यालय पता-ए-9, द्वितीय तल कम्फर्ट होम्स, फेस-1,

गुरूनानकपुरा, केपीटल पेट्रोल पंप के पीछे रायसेन रोड़, भोपाल म.प्र. 462023 नवीन कार्यालय पता मकान नंबर 88, नंद गांव रामेश्वरम, बागमुगालियर, भोपाल मध्यप्रदेश का एक भागीदार राहुल कुमार नामदेव आ. श्री प्रमोद कुमार नामदेव, आयु वयस्क, निवासी मकान नंबर 211, ताम्रकार टेला, ओल्ड ब्लॉक ऑफिस के पीछे, उचहेरा, जिला सतना म.प्र. 485661 की फर्म से समस्त भागीदारी/साझेदारी आज दिनांक 03-01-2017 से समाप्त कर दी गई है. उक्त भागीदार राहुल कुमार नामदेव द्वारा फर्म से अपना सम्पूर्ण हिसाब-किताब कर फर्म की साझेदारी से पृथक् होने संबंधी अनापत्ति भी प्रदान कर दी गयी है. अत: कोई भी व्यक्ति, संस्था शासकीय, अशासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य सभी मेरी पक्षकार फर्म ऑलवर्स टेलीकम्यूनिकेशन के नाम से उक्त राहुल कुमार नामदेव के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन, संव्यवहार न करें, अन्यथा संपूर्ण जबावदारी संबंधित व्यक्ति, संस्था, विभाग की होगी. मेरी पक्षकार फर्म की उक्त संबंध में कोई जबावदारी नहीं होगी.

अशोक गुप्ता,
(एडवोकेट)
कार्यालय-यू.जी. 27, नियर केपीटल पेट्रोल पंप,
(656-बी.) रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय दुर्गे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 6, मनोहर नगर, मुरैना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 29-09-1997 है. जिसमें दिनांक 01-04-2017 से (1) श्रीमती लता देवी सिंघल पत्नी श्री राकेश कुमार सिंघल, (2) श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य, (3) सुमित सिंघल पुत्र श्री राकेश कुमार सिंघल, (4) भारत मौर्य पुत्र श्री महेन्द्र सिंह मौर्य, निवासी मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स जय दुर्गे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
महेन्द्र सिंह मौर्य,
मनोहर नगर, मुरैना.

(657-बी.)

आम सूचना

आज दिनांक 03-01-2018 को फर्म यूफोरिया माइंस एण्ड मिनरल्स के प्रथम भागीदार श्रीमती विशाखा जलन पिता श्री अनंत कुमार जलन, निवासी 9 ए पैरामाउंट विल्स शायमला हिल्स, भोपाल ने अपनी भागीदारी फर्म से संपत करे दी है तथा उनकी जगह पर श्री चन्द्र शेखर चौरसिया पिता स्व. श्री दीनदयाल चौरसिया, निवासी 9 ए पैरामाउंट विल्स शायमला हिल्स, भोपाल ने भागीदारी स्वीकार की है फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/0203/16, पंजीयन दिनांक 14-09-2016 है.

चन्द्रशेखर चौरसिया,
(658-बी.) (पार्टनर).

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया

क्र.-क्यू/सी.ब्रा./9-21/8/2002-18/66/3-1-18.—मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2/1999/1/4, भोपाल दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, मदन कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दतिया कैलेण्डर वर्ष 2018 में निम्नानुसार दतिया जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1.	03 मार्च, 2018	शनिवार	होली की भाई दौज
2.	13 सितम्बर, 2018	गुरूवार	गणेश चतुर्थी
3.	08 अक्टूबर, 2018	सोमवार	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या

मदन कुमार,
(15) कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी

सिवनी, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

क्र./9086/व.लि./2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधान अनुसार, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, गोपालचन्द्र डाड कलेक्टर, सिवनी, वर्ष 2018 के लिए सिवनी जिले में निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

सरल क्रमांक	त्यौहार का नाम जिसके लिए अवकाश घोषित किया जाना है	दिन	दिनांक
1.	भाई दूज	शनिवार	03 मार्च, 2018
2.	कजलियॉ	सोमवार	27 अगस्त, 2018
3.	अन्नकूट पूजन (दीपावली का दूसरा दिन)	गुरूवार	08 नवम्बर, 2018

यह अवकाश कोषालय/उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा.

गोपालचन्द्र डाड,
कलेक्टर.

(17)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, तहसीलदार तहसील कट्टीवाडा, जिला अलीराजपुर

कट्टीवाडा, दिनांक 01 सितम्बर, 2017

प्रारूप चार एवं पाँच

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

क्र./764/रीडर/2017.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संतोष कुमार मनोहरलाल राठौड, निवासी कट्टीवाडा ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कट्टीवाडा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अखिल विश्व गायत्री परिवार ट्रस्ट शान्तिकुंज हरिद्वार

संस्था:- गायत्री प्रज्ञा पीठ शाखा-कट्टीवाडा स्थायी सामग्री सूची.—

क्र.	सामग्री का नाम	संख्या	कहां से प्राप्त	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमंत राणा साहब श्री जयेन्द्रसिंह जी जादव द्वारा दान में दी गई जमीन (भूमि) गायत्री प्रज्ञा पीठ कट्टीवाडा.	भूमि का सर्वे-2 नम्बर-24 रकबा 010 है.	दान से प्राप्त	11,00,000/-
2.	गायत्री माता जी मूर्ति		दान से प्राप्त	
3.	गायत्री प्रज्ञा पीठ के नवीन प्रज्ञाभवन क्र. 01 व 02		गायत्री प्रज्ञा पीठ कट्टीवाडा द्वारा भवन का निर्माण किया गया.	
4.	गायत्री प्रज्ञा पीठ कट्टीवाडा कवेलु वाले कच्चे दो-दो कमरे वाला मकान.	02 भाग (पार्टेशन)		

1	2	3	4	5
		वाद्य यंत्र		
1.	माईक स्पीकर (चोगे)	2 नग		6000/–
2.	एम्पली फायर	1 नग		13000/–
3.	एम्प्लीफायर	1 नग		18000/–
4.	केसियो (हरमोनियम)	1 नग		18000/–
5.	मोईको फोन	3 नग		3000/–
6.	माइक स्टेन्ड	2 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	2000/–
7.	इन्वेटर छोटा	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	3000/–
8.	रेडियोमाईक	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	5000/–
9.	तबले	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	5000/–
10.	विद्युत मोटर (पानी के कुएँ के लगी)	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	20,000/–
11.	छत पंखा	2 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	
12.	ढोलक	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	
13.	मंजिरे	2 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	200/–
14.	तराजू–तोल काटा	2 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	3000/–
		मन्दिर में पूजा, यज्ञ एवं भोजन बनाने के बर्तन		
1.	तपेला ऐल्युमिनियम ढक्कन सहित	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	1000/–
2.	तपेली छोटी	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	50/–
3.	स्टील थाली बड़ी	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	500/–
4.	पंलग पेटी पतरे की	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	4500/–
5.	पेटी पंतरे की छोटी	2 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	500/–
6.	दीपक पीतल का आरती के लिये	1 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	500/–
7.	कलश तांबे के (बड़े एवं छोटे)	3 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	2000/–
8.	पूजा की थाली छः खण्ड वाली स्टील की	9 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	1800/–

1	2	3	4	5
9.	पूजा की थाली चार खण्ड वाली स्टील (बड़ी)	3 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	150/-
10.	स्टील कटोरे यज्ञ सामग्री के लिये	34 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	3400/-
11.	तांबे की पूजा प्लेट	7 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	700/-
12.	तांबे की आचमनी (पानी के लिये)	13 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	700/-
13.	काष्ट पात्र हवने के लिये	9 जोड़ी	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	900/-
14.	स्टील चम्मच छोटी	60 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	300/-
15.	बिस्तर पेटी-तीन खण्ड वाली	01 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	5,000/-
		फर्नीचर		
1.	लकड़ी की अलमारी	01 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	5,000/-
2.	सीमेन्ट कुर्सीयां	03 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	6,000/-
3.	लोहे की बेंच (पत्तीवाली)	01 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	1200/-
4.	रेक किचन की	01 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	1,000/-
5.	पंलग लोहे का (फ्रेम)	01 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	500/-
6.	प्लास्टिक की कुर्सीयां	09 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा द्वारा क्रय किया गया.	3000/-
		बिस्तर सामग्री		
1.	कम्बल	10 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	5000/-
2.	चादर	15 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	1500/-
3.	दरिया फुल साईज	02 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	2000/-
4.	टाट पट्टी	23 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	4600/-
5.	आसन	10 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	200/-
				148200/-

1	2	3	4	5
		बगीचे में फलदार पौधे		
1.	आम	05 पेड़		5000/-
2.	नीबू	22 पेड़		3000/-
3.	जामफल	05 पेड़		500/-
4.	काजू	02 पेड़		500/-
5.	रामफल	02 पेड़		200/-
6.	अनार	01 पेड़		200/-
7.	आंवला	02 पेड़		300/-
8.	कटहल	01 पेड़		200/-
9.	रायणी	NIL		-
10.	माता जी की वेशभूसा (साड़िया)	30 नग	गायत्री प्रज्ञापीठ कट्टीवाडा को दान से प्राप्त.	
11.	चाँदी का छत्र	01 नग	महिला मण्डल द्वारा मंदिर को भेंट.	

आज दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की.

के. सी. ठाकुर,
तहसीलदार.

(18)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार लोक न्यास, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर

प्र.क्र.01/बी-113/2017-18. दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

आवेदक बाबूलाल तनय करोडेलाल जैन, निवासी टीकमगढ़ द्वारा एक आवेदन-पत्र धारा-4 मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट द्वारा श्री मुनिसुब्रतनाथ दिगम्बर जैन परमार्थ ट्रस्ट कुटौरा का न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र दिया है. लोक न्यास की उत्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

ग्राम कुटौरा के 400 वर्ष पुराने दिगम्बर जैन मंदिर के विकास हेतु दिगम्बर जैन संत श्री 108 आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज की प्रेरणा से तथा दिगम्बर जैन धर्म के महत्व से उत्पन्न हुआ. इस मंदिर में निम्न सम्पत्ति सम्मिलित है जिनालय (मंदिर) जिसमें 17 दिगम्बर, जैन मूर्तियां हैं, 15 धातु मूर्तियां, 2 पाषाण प्रतिमा, 4 यंत्रजी, 5 छत्र एवं 1 किलो चांदी के बर्तन, ताबा पीतल एवं अन्य धातुओं के 5 किलों वजन के बर्तन मंदिर परिषर में 12x40 फिट की धर्मशाला एवं 5 एकड़ की भूखण्ड खसरा नम्बर 1276 पेड़ जिसमें समय-समय पर संस्था द्वारा लगाये गये सागौन, नीम, आवला, अशोक, अनार के पेड़ तथा नवीन निर्माणधीन मंदिर है. उक्त भूखण्ड पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं. पेड़ों के संरक्षण हेतु 2 नलकूप, पानी की टंकी का निर्माण है यह सम्पत्ति श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगम्बर जैन ज्ञानोदय तीर्थ परमार्थ ट्रस्ट कुटौरा की है जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है. वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या कारोवार का प्रधान स्थान स्थित है.

आवेदक द्वारा भारतीय स्टैट बैंक, शाखा बिजावर में चालान शुल्क 50 रुपये 60933441, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा जमा किया जा चुका है. अत: गजट में प्रकाशन कराने का कष्ट करें एवं गजट की प्रति इस न्यायालय को भेजने का कष्ट करें. उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह न्यायालय में सुनवाई दिनांक 19 जनवरी, 2018 के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है.

राजीव समाधिया,
अनुविभागीय अधिकारी.

(65)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला देवास

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2548.—हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 09 जून, 1963 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक

1593, दिनांक 28 अगस्त, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौपा गया और न ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 09 जून, 1963 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विवेक व्यास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(19)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2549.—चामुण्डा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 के संस्था अध्यक्ष द्वारा अपने आवेदन में संस्था को अकार्यशील बताया है और ना ही आज दिनांक तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके तहत् मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2325, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चामुण्डा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विवेक व्यास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(20)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2550.—लाला हरदौल फल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1183, दिनांक 19 जुलाई, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौपा गया और न ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाला हरदौल फल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनोहर कैथवास को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(21)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2551.—विश्वास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगोद पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 15 सितम्बर, 2008

को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1138, दिनांक 13 जुलाई, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौपा गया और न ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगोद पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. रजावत को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(22)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2552.—माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमोरी पंजीयन क्रमांक 1258, दिनांक 12 नवम्बर, 2011 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1139, दिनांक 13 जुलाई, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौपा गया और न ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमोरी पंजीयन क्रमांक 1258, दिनांक 12 नवम्बर, 2011 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(23)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2574.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धलुरियाराव पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 554, दिनांक 01 सितम्बर, 2017 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौपा गया और न ही निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके तहत् अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धलुरियाराव पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(28)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2575.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डिगोद पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 04 जनवरी, 1984 संस्था द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2318, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डिगोद पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 04 जनवरी, 1984 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(29)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2576.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किशनगढ़ पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 06 जून, 2006 संस्था द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2322, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किशनगढ़ पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 06 जून, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(30)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2577.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सादीपुरा पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 05 नवम्बर, 1982 संस्था द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2323, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सादीपुरा पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 05 नवम्बर, 1982 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(31)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2578.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 09 जुलाई, 2002 संस्था द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2321, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 09 जुलाई, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(32)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2579.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैरवाखेडी पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 10 मई, 2007 संस्था द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2319, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैरवाखेडी पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 10 मई, 2007 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(33)

देवास, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2580.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिरवाय पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 15 मई, 2006 संस्था द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके तहत् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2328, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिरवाय पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 15 मई, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(34)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाण्डी,

तहसील टोकखुर्द, जिला देवास.

क्र./परि./2017/2553.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाण्डी जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 01 सितम्बर, 1990 है. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1930, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है. परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था के सचिव के पत्र के आधार पर संस्था को अकार्यशील होना बताया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 09 जनवरी, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(24)

देवास, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास.

क्र./परि./2017/2569.—विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 03 सितम्बर, 1979 है. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1144, दिनांक 13 जुलाई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है. परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था के अध्यक्ष का पत्र संलग्न किया है. जिसमें संस्था सदस्य संस्था को चलाने में किसी प्रकार की रूचि नहीं लेना बताया है एवं संस्था द्वारा अपकी उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति की जा चुकी है जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 12 जनवरी, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(25)

देवास, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्खी.

क्र./परि./2017/2570.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्खी जिसका पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 04 जून, 1984 है. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1909, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है. परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हों तो दिनांक 12 जनवरी, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(26)

देवास, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2571.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 845, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, श्वेताम्बरी प्राथ. उपभोक्ता (भण्डार) सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1118, दिनांक 03 फरवरी, 2016 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(27)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1888.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2014/396, दिनांक 17 अप्रैल, 2014 से गृह लक्ष्मी सहकारी संस्था

मर्यादित, लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./1055, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अरविन्द रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी लटेरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा गृह लक्ष्मी सहकारी संस्था मर्यादित, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह लक्ष्मी सहकारी संस्था मर्यादित, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./1055, दिनांक 28 जनवरी, 2017 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(36)

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1889.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2014/674, दिनांक 20 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नैनवासकलां, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./773, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अरविन्द रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी लटेरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नैनवासकलां, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नैनवासकलां, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./773, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(37)

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1891.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/589, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./647, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./647, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(39)

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1892.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/590, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./650, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./650, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(40)

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1893.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/1238, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 से रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./739, दिनांक 16 जनवरी, 2009 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./739, दिनांक 16 जनवरी, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(41)

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1890.—संस्था अंकेक्षक श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2017 के अनुसार संस्था द्वारा वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण हेतु संस्था का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके कारण संस्था का अंकेक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सॉची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतूरिया (गुलाबगंज), जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1381, विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से सॉची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतूरिया (गुलाबगंज), जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सॉची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतूरिया (गुलाबगंज), जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही. डी.एस./970, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. सी. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्यारसपुर, जिला विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(38)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1921.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार नारी शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., महु पोस्ट चितावर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है, एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये नारी शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., महु, पोस्ट चितावर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1591, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से नारी शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., महु, पोस्ट चितावर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, नारी शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., महु पोस्ट चितावर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1081, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन में किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(35)

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1903.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार बहुउद्देशीय पंचायतकर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है, एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये बहुउद्देशीय पंचायतकर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1607, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से बहुउद्देशीय पंचायतकर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, बहुउद्देशीय पंचायतकर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी. एस./1048, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को परिसमापन में किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(42)

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1904.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार लक्ष्मी महिला बाल विकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ध्रुवा सेक्टर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है, एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये लक्ष्मी महिला बाल विकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ध्रुवा सेक्टर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1612, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से लक्ष्मी महिला बाल विकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ध्रुवा सेक्टर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, लक्ष्मी महिला बाल विकास कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ध्रुवा सेक्टर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./1079, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(43)

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1905.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कुमुदनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कुमुदनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1604, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से कुमुदनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कुमुदनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1061, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(44)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1922.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार स्टार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये स्टार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1592, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से स्टार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, स्टार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1054, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(45)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1930.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1624, विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, उत्थान कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1063, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(46)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1931.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., पठारी सैक्टर कुरवाई, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., पठारी सैक्टर कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1613, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., पठारी सैक्टर कुरवाई, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जागृति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., पठारी सैक्टर कुरवाई, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1086, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(47)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1932.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1598, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी. एस./1078, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल अहिरवार, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(48)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1933.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आंगनवाड़ी साख सहकारी संस्था मर्या., जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आंगनवाड़ी साख सहकारी संस्था मर्या., जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2017/1597, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से आंगनवाड़ी साख सहकारी संस्था मर्या., जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आंगनवाड़ी साख सहकारी संस्था मर्या., जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही. डी.एस./1085, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल अहिरवार, उप अंकेक्षक अधिकारी कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(49)

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1934.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2017/1596, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1083, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल अहिरवार, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सिंह,
(50) उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना

पन्ना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

प्राथमिक वनोपज सहकारी मर्या., जरधोवा.

द्वाराः- प्रबंध संचालक, जिला वनोवज सहकारी यूनियन मर्या., उत्तर वनमण्डल, पन्ना.

विषयः- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन करने बाबत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./विधि/परिसमापन/2017/2184.—उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, पन्ना से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक वनोपज सहकारी मर्या., जरधोवा पंजीयन क्रमांक 402, दिनांक 09 फरवरी, 2000 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गयी हैः-

1. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्ति युक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.
4. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के सवंर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
5. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रूचि नहीं है.
6. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्किय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियॉ वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युतर संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मण्डल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहें तो दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहॉ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मण्डल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 25 जनवरी, 2018 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(51)

पन्ना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल/प्रबंधक

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., ललार.

द्वारा:- प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या., उत्तर वनमण्डल, पन्ना.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन करने बाबत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./विधि/परिसमापन/2017/2184.—उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, पन्ना से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक वनोपज सहकारी मर्या., ललार पंजीयन क्रमांक 404, दिनांक 02 मार्च, 2000 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्ति युक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.
4. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के सवंर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
5. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रूचि नहीं है.
6. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अत: संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियॉ वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युतर संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यत: विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मण्डल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहें तो दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहॉ विशेषत: निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मण्डल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 25 जनवरी, 2018 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय सिंह आर्य,
सहायक पंजीयक.

(52)

कार्यालय परिसमापक स्लेट पेंसिल मटेरियल सप्लायर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—स्लेट पेंसिल मटेरियल सप्लायर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मन्दसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/312, दिनांक 09 मार्च, 1979 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा स्लेट पेंसिल मटेरियल सप्लायर सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मन्दसौर के आदेश क्रमांक/परि./658/1990 मन्दसौर, दिनांक 16 मई, 1990, द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को संशोधित आदेश क्रमांक/परि./ 870/2012, मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(53)

कार्यालय परिसमापक आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मोल्याखेड़ी

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मोल्याखेड़ी, तहसील मन्दसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.एम.डी.एस/111, दिनांक 20 अक्टूबर, 1970 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मोल्याखेड़ी, तहसील मन्दसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./16 A/2003 मन्दसौर, दिनांक 07 जनवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./1005/2014, मन्दसौर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(54)

कार्यालय परिसमापक जिला शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—जिला शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.एम.डी.एस/194, दिनांक 05 मई, 1970 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जिला शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./2111/2003 मन्दसौर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./870/2012, मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(55)

कार्यालय परिसमापक कुबेर साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—कुबेर साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/1368, दिनांक 30 जून, 2015 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आदर्श कुबेर साख सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील मंदसौर, विकासखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./583/2017 मन्दसौर, दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./583/2017, मन्दसौर, दिनांक 27 जून, 2017 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(56)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तितरोद

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तितरोद, तहसील सीतामऊ, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 20 जनवरी, 1990 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तितरोद, तहसील सीतामऊ, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./822/2017 मन्दसौर, दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./822/2017, मन्दसौर, दिनांक 17 अगस्त, 2017 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(57)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणायरा

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणायरा, तहसील सीतामऊ, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 636, दिनांक 28 मार्च, 1992 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणायरा, तहसील सीतामऊ, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./822/2017 मन्दसौर, दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./822/2017, मन्दसौर, दिनांक 17 अगस्त, 2017 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(58)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरिया विजय

मन्दसौर, दिनांक 02 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./Q/2018.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 07 जुलाई, 1993 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक/परि./65/2017 मन्दसौर, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को आदेश क्रमांक/परि./651/2017, मन्दसौर, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, विष्णु कुमार खेरिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह (60 दिन) के मध्य मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

व्ही. के. खेरिया,
सहकारी निरीक्षक.

(59)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 03] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी, 2018-पौष 29, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 अगस्त, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील मुरैना, जौरा, कैलारस (मुरैना), विजयपुर, श्योपुर, कराहल (श्योपुर), भिण्ड, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी (शिवपुरी), पलेरा (टीकमगढ़), बिरसिंहपुर (सतना), कन्नौद, सतवास, खातेगांव (देवास), थांदला, पेटलावद (झाबुआ), खिरकिया (हरदा), कुण्डम (जबलपुर), करेली (नरसिंहपुर), नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामियां, परासिया, सौंसर, अमरवाड़ा, चौरई, हर्रई, चाँद (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, लखनादौन, घंसोर (सिवनी), लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, सबलगढ़ (मुरैना), अटेर (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली (अशोकनगर), निवाड़ी, जतारा, टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), बीना, सागर (सागर), पथरिया, (दमोह), मझगवां, मैहर (सतना), त्यौंथर, सिरमौर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), बागली (देवास), चुरहट (सीधी), झिरन्या (खरगोन), सेंधवा, पानसेमल (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सिरोंज (विदिशा), नसरूल्लागंज (सीहोर), बेगमगंज (रायसेन), बाबई, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), हरदा, (हरदा), जबलपुर (जबलपुर), गाडरवारा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछियां, निवास, घुघरी (मण्डला), बिछुआ, उमरेठ, मोहखेड़, पांढुर्णा, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), केवलारी, धनौरा (सिवनी), किरनापुर, बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, बिरसा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील रौन-मिहोना (भिण्ड), दतिया (दतिया), पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), बक्सवाहा (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), खुरई, बण्डा, रेहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली (सागर), हटा, बटियागढ़, तेंदूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर (सतना), हनुमना, हजूर (रीवा), बुढ़ार (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), बड़नगर (उज्जैन), कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव (खरगोन), टोंकखुर्द (देवास), निवाली (बड़वानी), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी, कुरवाई, बासौदा,

नटेरन (विदिशा), रेहटी (सीहोर), इटारसी, सिवनी-मालवा, सोहागपुर (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), पाटन, मझौली (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर), बजाग (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील सेवढ़ा, भाण्डेर (दतिया), ईशागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राधोगढ़, बमोरी, आरौन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, लवकुशनगर (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), देवरी, मालथौन, शाहगढ़ (सागर), जवेरा, पटेरा (दमोह), रामपुरबघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर (सतना), मऊगंज, (रीवा), ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासरा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मन्दसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुंधडक्का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), मौमन बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), देवास, सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर (देवास), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, उदयगढ़, चं. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), खरगौन, बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगांव, (खरगोन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, पाटी, बरला (बड़वानी), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, पचौर (राजगढ़), विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इच्छावर, श्यामपुर, जोबट, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद (होशंगाबाद), सिहौरा (जबलपुर), तेन्दूखेड़ा, (नरसिंहपुर), बालाघाट, लालबर्रा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

(इ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि.मी. तक- तहसील नरसिंहगढ़ (राजगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डौरी, नरसिंहपुर, सिवनी में कहीं-कहीं पर जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला ग्वालियर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में कहीं-कहीं रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी.- जिला डिण्डौरी में फसल मक्का, सोयाबीन, उड़द, मुरैना, ग्वालियर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति- जिला खरगौन में वर्षा में अन्तराल से तथा जिला हरदा में अल्प वर्षा एवं कीट व रोगों से फसलें आंशिक रूप से प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. कटाई.- . .

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में व शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 अगस्त, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	25.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	30.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	13.8				
4. जौरा	2.0				
5. कैलारस	9.0				
6. सबलगढ़	18.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	15.0		4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	17.0		मक्का, तिल, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	17.0		मूँग, सोयाबीन सुधरी हुई		
4. वीरपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. बडोदा	. .				
3.जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	18.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	6.8				
5. लहार	4.3				
6. गौरमी	. .				
7. मौ	. .				
8. रौन/मिहोना	38.3				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	7.4	रोपाई चालू.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	21.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	6.0				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	80.0		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	37.0		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	85.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	14.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	33.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	30.0				
4. नरवर	20.0				
5. करैरा	30.7				
6. कोलारस	27.0				
7. पोहरी	20.0				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	18.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	33.0		4. (1) उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	83.0		सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	95.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	84.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	108.9		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	134.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	89.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. आरोन	113.0				
5. चाचौड़ा	111.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	148.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	28.0		4. (1) धान, उड़द, तिल अधिक,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	47.4		ज्वार, मूँग, मूँगफली, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	33.0		अरहर कम.		
4. टीकमगढ़	24.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. बल्देवगढ़	48.0				
6. पलेरा	11.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	21.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	22.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	20.2				
4. छतरपुर	30.6				
5. राजनगर	92.3				
6. बिजावर	82.0				
7. बड़ामलहरा	105.4				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	100.0				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	43.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है, बोनी चालू है. रोपाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	48.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	108.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	93.5				
4. पवई	58.0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	61.8				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	28.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	36.6		उड़द, मूँग, अरहर, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	43.2		सोयाबीन कम.		
4. सागर	26.2		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. रेहली	36.0				
6. देवरी	117.0				
7. गढ़ाकोटा	49.4				
8. राहतगढ़	41.0				
9. केसली	43.3				
10. मालथोन	112.0				
11. शाहगढ़	90.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	46.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	38.0		उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	40.0		तिल, मूँगफली सुधरी हुई हैं.		
4. पथरिया	32.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. जवेरा	129.0				
6. तेन्दूखेड़ा	53.0				
7. पटेरा	109.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	52.1		4. (1) तिल, कोंदो-कुटकी, मूँग,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	32.0		धान, ज्वार, मक्का, बाजरा,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	64.0		मूँगफली समान, तुअर,		
4. नागौद	74.0		सोयाबीन, उड़द, रामतिल कम.		
5. उचेहरा	58.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
6. अमरपाटन	91.0				
7. रामनगर	54.0				
8. मैहर	31.0				
9. कोठर	. .				
9. बिरसिंहपुर	11.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	19.0		4. (1) उड़द, मूँग, तुअर, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	26.6		कोंदो अधिक, धान, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	65.0		कम.		
4. हनुमना	48.2		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. हजूर	42.2				
6. गुढ़	28.0				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	33.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	32.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	98.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	63.0				
4. बुढ़ार	46.0				
5. गोहपारू	78.0				
6. जैतपुर	126.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	42.6		4. (1) मक्का अधिक, सोयाबीन	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	51.0		समान. धान, तुअर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	55.3		कोंदो-कुटकी कम है.		
4. पुष्पराजगढ़	34.8		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	36.2		4. (1) धान, मक्का, कोंदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	27.5		उड़द, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	30.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, खरीफ फसलों की बोनी चालू है, धान रोपाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	84.8		4. (1) ज्वार, मक्का समान. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	112.0		तुअर, तिल, उड़द, मूँग	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	61.2		कम है.		
4. कुसमी	132.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. चुरहट	33.9				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	108.4				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, राहर, कोदों-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		कुटकी, उड़द, राहर, तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सर्रई	. .		(2) मक्का, ज्वार, राहर, कोदों-		
4. माडा	. .		कुटकी समान. उड़द तिल		
5. सिंगरौली	. .		बिगड़ी हुई.		
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	172.6		4.(1) सोया, उड़द, मूँग.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	85.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	65.5				
4. गरोठ	86.6				
5. मंदसौर	142.0				
6. श्यामगढ़	123.0				
7. सीतामऊ	137.0				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	131.0				
10. संजीत	79.0				
11. कयामपुर	127.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	115.1		4.(1) मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	177.0		उड़द समान. सोयाबीन, अरहर,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	. .		मूँग, तिल, ज्वार कम.		
4. जीरन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	150.0				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	60.0		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	89.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	97.0				
4. घटिया	116.0				
5. उज्जैन	61.0				
6. बड़नगर	39.0				
7. नागदा	89.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	115.0		4.(1) मक्का, ज्वार, लालतुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	59.8		उड़द अधिक, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	70.0		(2) . .		
4. कालापीपल	85.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .				
7. गुलाना	66.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	62.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	47.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	56.0				
4. बागली	30.0				
5. कन्नोद	17.0				
6. हाटपिपल्या	82.0				
7. सतवास	6.0				
8. उदयनगर	61.2				
9. खातेगांव	7.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	1.8		4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. पेटलावद	1.2				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	70.4		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	91.6				
3. कट्टीवाड़ा	139.0				
4. सोंडवा	53.0		(2) . .		
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	64.8				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	75.4				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. वर्षा में अन्तराल होने से फसलों पर आंशिक प्रभाव है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	58.0		4. (1) मक्का, तुअर अधिक, ज्वार धान, बाजरा, कपास, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	63.0				
3. सेगांव	71.0				
4. खरगौन	60.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. गोगावां	73.0				
6. कसरावद	45.0				
7. भगवानपुरा	42.3				
8. भीकनगांव	42.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	29.4				
33.जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	61.4		4. (1) गन्ना, मक्का, ज्वार, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	67.0				
3. राजकोट (राजपुर)	65.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. सेंधवा	23.0				
5. पानसेमल	25.0				
6. पाटी	91.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	57.2				
9. निवाली	49.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		तुअर, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	33.8		4. (1) कपास, मूँगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	44.8		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	42.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	78.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	150.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	125.0				
4. ब्यावरा	130.2				
5. सारंगपुर	118.0				
6. पचोर	121.0				
7. नरसिंहगढ़	258.5				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	41.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	28.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	36.6				
4. बासोदा	39.0				
5. नटेरन	36.0				
6. विदिशा	79.8				
7. गुलाबगंज	60.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	72.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	130.0		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	69.8		मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	73.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	74.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	98.0				
4. नसरूल्लागंज	24.0				
5. रेहटी	36.4				
6. श्यामपुर	68.0				
7. जावर	55.0				
8. बुधनी	65.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	242.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	100.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	30.0				
4. गोहरगंज	76.0				
5. बरेली	130.9				
6. सिलवानी	80.0				
7. बाड़ी	80.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	74.4				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	76.0		4. (1) गन्ना, तिल, मूँगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	46.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	33.0				
4. इटारसी	44.4				
5. सोहागपुर	35.0				
6. पिपरिया	34.0				
7. बनखेड़ी	29.0				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	28..4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. अल्प वर्षा एवं कीट व रोगों से आंशिक प्रभाव है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	29.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	9.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	44.2				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, रोपाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	25.6		4. (1) उड़द, मूँग अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	16.0		तिल, मक्का, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	72.8		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. पाटन	39.2				
5. मझौली	52.8				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है, बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)					
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	35.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	42.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	17.0				
4. गाडरवारा	21.0				
5. तेंदूखेड़ा	69.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	30.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	23.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	21.9				
4. निवास	34.6				
5. नारायणगंज	16.4				
6. घुघरी	24.1				
48.जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है, मक्का,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	15.8	धान, सोयाबीन, उड़द है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	7.9	फसल की बोनी चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	43.0	धान रोपाई कार्य चालू.			
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	12.6		4. (1) मक्का, सोयाबीन, धान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	10.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	3.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जुन्नारदेव	21.5				
5. सौंसर	14.2				
6. बिछुआ	27.6				
7. अमरवाड़ा	6.6				
8. चौरई	15.6				
9. उमरेठ	18.4				
10. मोहखेड़	33.2				
11. हर्रई	8.1				
12. चांद	14.1				
13. पांढुर्णा	19.0				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	14.0	कार्य चालू, धान रोपाई	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	16.1	कार्य चालू.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	4.0				
4. केवलारी	33.2				
5. लखनादोन	15.7				
6. छपारा	38.9				
7. घनोरा	17.6				
8. घंसोर	16.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	60.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	10.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	32.4				
4. बैहर	34.0				
5. वारासिवनी	19.4				
6. कटंगी	15.5				
7. लालबर्रा	79.0				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	30.4				
10. बिरसा	29.4				
11. खैरलांजी	31.8				

टीप :- जिला रतलाम, धार, बैतूल से प्रतिवेदन अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(63)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.